भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2648

सोमवार, 09 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी

†2648.डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू कामगारों के संगठनों और नागरिक समाज समूहों द्वारा वित्तीय शोषण और उत्पीड़न को रोकने के लिए घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत करने की मांगों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों या हितधारकों के साथ कोई परामर्श या चर्चा हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का भविष्य में घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की एक समान राष्ट्रीय रूपरेखा लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया गया है और वेतन संहिता 2019 के तहत शामिल किया गया है, जिसे 21.11.2025 से प्रभावी बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी प्रतिष्ठान के सभी नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी को एक समान रूप से लागू करना है।

वेतन संहिता, 2019, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को समुचित सरकारों के रूप में अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार प्रदान करती है।

****